न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 :- 359/2015

उनवान

1. रामफूल पुत्र रामजीलाल
   1/1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामफूल

} जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील-दौसा जिला-दौसा।

- (वादीगण)

बनाम

1 देवनारायण पुत्र रामजीलाल
2 हरिसिंह पुत्र ग्यारसीलाल
3 तीजा बेवा ग्यारसीलाल
4 सुवालाल पुत्र सीताराम
5 दाखा बेवा सीताराम
6 कन्हैयालाल पुत्र पूरिया
7 गंगाधर पुत्र पूरिया

} जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील-दौसा जिला-दौसा।

8 स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नांगल बैरसी जरिये शाखा प्रबन्धक ।
9 राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा।

- (प्रतिवादीगण)

उपस्थितिः- 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता वादीगण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा (जि॰ दौसा)

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

::निर्णय::

दिनांक: 10.02.2021

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी को निम्न अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें:-

यह है कि वाके ग्राम खैरवाल तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा न0 345 रकबा 1.56 है0, खसरा न0 346 रकबा 0.36 है0, ख0न0 347 रकबा 0.97 है0 , ख0न0 348 रकबा 1.17 है0 ख0न0 571 रकबा 0.38 है0 खसरा न0 572 रकबा 0.36 है0, ख0न0 577 रकबा 0.32 है0 ख0न0 578 रकबा 0.35 है0 खसरा न0 647 रकबा 0.36 है0, ख0न0 649 रकबा 0.88 है0 ख0न0 651 रकबा 0.34 है0 , खसरा न0 652 रकबा 0.58 है0 खसरा न0 653 रकबा 0.72 है0 ख0न0 654 रकबा 1.05 है0 ख0न0 655 रकबा 1.64 है0 , ख0न0 656 रकबा 0.47 है0 , ख0न0 657 रकबा 0.83 है0 , ख0न0 658 रकबा 0.46 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 12.80 है0 के वादी के 1/4 हिस्से का बाहमी तकास्मा को मान्यता देकर तकास्मा फरमाकर खाता अलग कायम कर लगान अलग कायम करने की कृपा करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ला0 7 का खाता अलग कायम करने की कृपा करे तदानुसार डिक्री वादी के पक्ष में प्रतिवादी 1 लगा0 7 के खिलाफ पारित फरमाने की कृपा करें।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 7 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करें कि वाके ग्राम खैरवाल तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा न0 345 रकबा 1.56 है0, खसरा न0 346 रकबा 0.36 है0, ख0न0 347 रकबा 0.97 है0 , ख0न0 348 रकबा 1.17 है0 ख0न0 571 रकबा 0.38 है0 खसरा न0 572 रकबा 0.36 है0, ख0न0 577 रकबा 0.32 है0 ख0न0 578 रकबा 0.35 है0 खसरा न0 647 रकबा 0.36 है0, ख0न0 649 रकबा 0.88 है0 ख0न0 651 रकबा 0.34 है0 , खसरा न0 652 रकबा 0.58 है0 खसरा न0 653 रकबा 0.72 है0 ख0न0 654 रकबा 1.05 है0 ख0न0 655 रकबा 1.64 है0 , ख0न0 656 रकबा 0.47 है0 , ख0न0 657 रकबा 0.83 है0 , ख0न0 658 रकबा 0.46 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 12.80 है0 के वादी के 1/4 हिस्से के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 7 कोई दखल नहीं पहुचावे एवम वादी को जबरन बेदखल नहीं करे एवं उक्त भूमि के खसरा नम्बर 577 में बने हुए वादी के पुख्ता डण्डे को तोड-फोड न करे एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि के किसी भी भाग पर कोई कच्चा पक्का निर्माण छप्पर मकान आदि का नहीं करें। वादी को खर्चा मुकदमा प्रतिवादी सं0 1 ला0 7 से दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)

इस पर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 7 व 9 बावजूद तामिल उपस्थित नही हुये अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नम्बर 8 की ओर से आर0 के0 जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाब दावा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया किः-

वाके ग्राम खैरवाल तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा न0 345 रकबा 1.56 है0, खसरा न0 346 रकबा 0.36 है0, ख0न0 347 रकबा 0.97 है0 , ख0न0 348 रकबा 1.17 है0 ख0न0 571 रकबा 0.38 है0 खसरा न0 572 रकबा 0.36 है0, ख0न0 577 रकबा 0.32 है0 ख0न0 578 रकबा 0.35 है0 खसरा न0 647 रकबा 0.36 है0, ख0न0 649 रकबा 0.88 है0 ख0न0 651 रकबा 0.34 है0 , खसरा न0 652 रकबा 0.58 है0 खसरा न0 653 रकबा 0.72 है0 ख0न0 654 रकबा 1.05 है0 ख0न0 655 रकबा 1.64 है0 , ख0न0 656 रकबा 0.47 है0 , ख0न0 657 रकबा 0.83 है0 , ख0न0 658 रकबा 0.46 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 12.80 है0 के वादी के 1/4 हिस्से का वादी रामफूल व 1/4 भाग का प्रतिवादी नम्बर 1 देवनारायण खातेदार काबिज काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी न0 1 ने अपने -अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी न0 8 के पक्ष में रहन रखकर ऋण ले रखा हैयह है कि वाद में वादी द्वारा विपक्षी न0 8 बैंक के विरूद्व कोई सहायता नहीं मांगी गई है इसलिए प्रतिवादी न0 8 के विरूद्व वाद चलाने योग्य नहीं है। प्रतिवादी न0 8 बैंक के विरूद्व वाद खारिज फरमाया जावे व प्रतिवादी न0 8 बैंक को वादी से वाद का हर्जा खर्चा दिलवाया जाये।

<u>इसके उपरान्त तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार हैः-</u>

आया वाद में वादग्रस्त भूमि कुल किता 18 कुल रकबा 12.80 वाके ग्राम खैरवाल में वादी को अपने हिस्से के बहमी तकास्मे अनुसार अलग-अलग खाता एवं लगान कायम करने का हक व अधिकार है। (वादी)

आया वाद में वादी प्रति प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 में है कि वे वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त की 1/4 हिस्से की भूमि में दखलदांजी नहीं करने हेतु प्रतिबन्धित कराने का अधिकारी है। (वादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

आया वाद में वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे के ख0 न0 577 में बने हुए वादी के पुक्ता डण्डे को तोड- फोड न करे या किसी भू-भाग पर कोई निर्माण कार्य नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 7 को प्रतिबन्धि कराने का अधिकारी है। (वादी)

आया वाद में वादी द्वारा प्रतिवादी न0 8 के विरूद्व कोई रिलीफ नहीं चाही गई है इसलिए प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्व कोई वाद चलने योग्य नहीं है।

(प्रतिवादी सं. 8)

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)

आया वाद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने-अपने हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में रहन रखकर ऋण ले रखा है, जब तक भूमि रहन से बागुगास्त नहीं कराली जाती, जब तक खातेदारी में कानूनन परिवर्तन का आदेश नहीं दिया जा सकता है। (प्रतिवादी संख्या 8)

तदुपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 एवं शपथ पत्र वादी रामफुल पी डब्ल्यु 1 पेश किये गये। इस पर अधिवक्ता प्रतिवादी ने वादी से जिरह की शेष साक्ष्य एवं प्रतिवादी संख्या 8 के साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई । वादी अधिवक्ता ने कथन किये कि मुताबिक कुर्रेजात तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वाद डिक्री किया जाये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया।

पत्रावली में उभय पक्षकारान के अभिवचनो के आधार पर कायम तनकी नम्बर 1, 2, 3 को सिद्व करने का भार वादी पर था जिसे सिद्व करने के लिये वादी ने अपने दावा के साथ दस्तावेज प्रदर्श संख्या 1 जमाबंदी संवत 2066 से 2069 पेश की। प्रदर्श संख्या 1 जमाबंदी संवत 2066 से 2069 का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात वादी द्वारा तनकी नम्बर 1 और 2 को दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहने के कारण तनकी संख्या 1 एवं 2 का निस्तारण वादी के पक्ष में किया जाता है।

वादीगण द्वारा पेश दावा तकसीम आराजी का है जिसका बिना कुर्रे रिपोर्ट के विभाजन किया जाना संभव नहीं है। ऐसी सूरत में पत्रावली दिनांक 18.05.18 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खैरवाल में पेश हुई। कैम्प कोर्ट में वादी का वाद स्वीकार किया गया। स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम खैरवाल तहसील दौसा में स्थित खसरा नं. 345, 346, 347, 348, 571, 572, 577, 578, 647, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658 कुल किता 18 कुल रकबा 12.80 हैक्टेयर के दिनांक 18.05.18 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री की जाकर तहसीलदार दौसा को वादग्रस्त भूमि पर कुर्रे रिपोर्ट लाने के आदेश दिये गये है। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2018/5107 दिनांक 01.06.18 के द्वारा तहसीलदार दौसा से कुर्रे जात चाहे जाने पर तहसीलदार दौसा के पत्रांकः भू0अ0/18/9298 दिनांक 15.10.2018 के द्वारा कुर्रेजात बिना तहसीलदार दौसा के हस्ताक्षर के इस न्यायालय को प्राप्त होने पर न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/19/6... दिनांक 28.07.19 के द्वारा तहसीलदार दौसा के हस्ताक्षर हेतु मूल कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार दौसा द्वारा हस्ताक्षर कर कुर्रेजात रिपोर्ट उनके पत्रांकः एलआर/19/9000 दिनांक 16.08.2019 द्वारा न्यायालय को भिजवाई गयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जो निम्न प्रकार से हैः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.08.22 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)

वादीगणः–

1. राजेन्द्र पुत्र रामफूल जाति गुर्जर निवासी खैरवाल राहिन एसबीबीजे शाखा नांगल–बैरसी **रंग–लाल**	ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	लगान
	347/1	0.48	नहरी	7.20
	348/1	0.53	नहरी	7.95
	571/1	0.19	चाही 1	8.55
	577/1	0.16	चाही 1	7.20
	651/1	0.07	चाही 3	1.75
	652	0.58	चाही 3	14.50
	653/1	0.60	चाही 3	15
	654/2	0.59	नहरी	8.85
	8	3.20		71.00

प्रतिवादीगणः–

1. देवनारायण पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी खैरवाल राहिन एसबीआई शाखा नांगल बैरसी **रंग–हरा**	ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	लगान
	347/2	0.49	नहरी	7.35
	348/2	0.53	नहरी	7.95
	571/2	0.19	चाही 1	8.55
	577/2	0.16	चाही 1	7.20
	647	0.36	चाही 3	9.00
	65[illegible]	[illegible].27	चाही 3	6.75
	649	[illegible].88	चाही	22
	654/1	0.32	नहरी	4.80
	8	3.20		73.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)

	ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	लगान
1. हरिसिंह पुत्र ग्यारसीलाल राहिन केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा दौसा, तीजा पत्नी ग्यारसीलाल राहिन बी.ओ.बी. बैंक शाखा भण्डाना हिस्सा 1/4, कन्हैयालाल पुत्र पूरिया हिस्सा 1/4 राहिन बी.ओ.बी. बैंक शाखा भण्डाना, गंगाधर पुत्र पूरिया हिस्सा 1/4 राहिन एसबीआई शाखा दौसा, सुआलाल पुत्र सीताराम दाखा पत्नी सीताराम हिस्सा 1/4 राहिन एसबीआई शाखा नांगलबैरसी जाति गुर्जर निवासी खैरवाल __रंग–खाली__	345	1.56	नहरी	23.40
	346	0.36	नहरी	5.40
	348/3	0.11	नहरी	1.65
	572	0.36	चाही 1	16.20
	578	0.35	चाही 1	15.75
	654/3	0.14	नहरी	2.10
	657	0.83	चाही 3	20.75
	658	0.46	चाही 3	11.50
	655	1.64	नहरी	24.60
	656	0.47	चाही 3	11.75
	653/2	0.12	चाही 3	3
	11	6.40	-	136.00

तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में दर्ज पक्षकारान की खातेदारी हिस्से व कुर्रेजात रिपोर्ट का मिलान किया गया राजस्व रिकार्ड में कुर्रेजात रिपोर्ट खसरा न0 345 रकबा 1.56 है0, खसरा न0 346 रकबा 0.36 है0, ख0न0 347 रकबा 0.97 है0 , ख0न0 348 रकबा 1.17 है0 ख0न0 571 रकबा 0.38 है0 खसरा न0 572 रकबा 0.36 है0, ख0न0 577 रकबा 0.32 है0 ख0न0 578 रकबा 0.35 है0 खसरा न0 647 रकबा 0.36 है0, ख0न0 649 रकबा 0.88 है0 ख0न0 651 रकबा 0.34 है0 , खसरा न0 652 रकबा 0.58 है0 खसरा न0 653 रकबा 0.72 है0 ख0न0 654 रकबा 1.05 है0 ख0न0 655 रकबा 1.64 [illegible] न0 656 रकबा 0.47 है0 , ख0न0 657 रकबा 0.83 है0 , ख0न0 658 रकबा 0.46 है0 [illegible] किता 18 कुल रकबा 12.80 है0 में पक्षकारान के खातेदारी हिस्से के अनुसार सही पायी गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)

:: आदेश ::

वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 16.08.2019 के मुताबिक खसरा न0 345 रकबा 1.56 है0, खसरा न0 346 रकबा 0.36 है0, ख0न0 347 रकबा 0.97 है0, ख0न0 348 रकबा 1.17 है0 ख0न0 571 रकबा 0.38 है0 खसरा न0 572 रकबा 0.36 है0, ख0न0 577 रकबा 0.32 है0 ख0न0 578 रकबा 0.35 है0 खसरा न0 647 रकबा 0.36 है0, ख0न0 649 रकबा 0.88 है0 ख0न0 651 रकबा 0.34 है0 , खसरा न0 652 रकबा 0.58 है0 खसरा न0 653 रकबा 0.72 है0 ख0न0 654 रकबा 1.05 है0 ख0न0 655 रकबा 1.64 है0 , ख0न0 656 रकबा 0.47 है0 , ख0न0 657 रकबा 0.83 है0 , ख0न0 658 रकबा 0.46 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 12.80 है0 भूमि वाके ग्राम खैरवाल तहसील दौसा के मध्य तकास्मा किया जाकर अलग-अलग खाताबन्दी की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व नक्शा में तितम्बा काटे जाकर अलग-अलग लगान कायम करने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी नं0 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बरान के वादीगण के 3/5 हिस्से के कब्जे काश्त में कोई दखल नही पहुंचावे तथा किसी विशिष्ट हिस्से को किसी दीगर को विक्रय नही करें तथा किसी विशिष्ट हिस्से पर निर्माण कार्य नही करें। कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तैयार दिनांक 16.08.2019 तथा पेश दिनांक 19.08.2019 इस अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक **10.02.2021** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर दौसा
जिला दौसा

10/02/21

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सहायक (कलेक्टर दौसा)
दौसा